

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 नवम्बर 2015—अग्रहायण 5, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

अधि. क्र. 148-एफ 1-6-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् धामनोद, जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

अनु.क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	09 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	05	15 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 10 एकलव्य वार्ड 12 शहीद भगतसिंह वार्ड 13 देवी अहिल्या वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	01 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 05 स्वामी विवेकानंद वार्ड 08 आनंदीलाल बोहरा वार्ड 11 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	00	00 निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षित वार्ड	03	15 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 10 एकलव्य वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के आरक्षित वार्ड	02	05 स्वामी विवेकानंद वार्ड 11 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
7	महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	03	03 महाराणा प्रताप वार्ड 06 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 04 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.